



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या 6048/2009

याचिकाकर्ता :

में. श्री नकोड़ा इस्पात लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादी:

आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क

आदेश हेतु दिनांक : 07-12-2009 को सूचित सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षरित /-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या 6048/2009

याचिकाकर्ता: : में श्री नकोड़ा इस्पात लिमिटेड,

प्लॉट नं.109, फेज़-2,

औद्योगिक विकास केंद्र,

सिलतरा, रायपुर, छत्तीसगढ़

विरुद्ध

आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कर भवन

धमतरी रोड, रायपुर

49201, छत्तीसगढ़

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

उपस्थित :

श्री आरोही भारती, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री भीष्मा किंगर, उत्तरवादी के अधिवक्ता।





आदेश

(दिनांक 07 दिसंबर, 2009 को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति धीरेंद्र मिश्रा

1. याचिकाकर्ता दिनांक 20 जुलाई, 2009 (अनुलग्नक-पी/1) के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय आधिकारण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'सीईएसटीएटी') द्वारा पारित किया गया था। जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को सुनने हेतु पूर्ववर्ती शर्त के रूप में ₹1,25,99,362/- (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख निन्यानवे हजार तीन सौ बासठ मात्र) की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता स्पंज आयरन, इंगट, बिलेट का निर्माता है, जो कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की धारा 72 के अंतर्गत वर्गीकृत है। याचिकाकर्ता ने संरचनात्मक लोहे और इस्पात की वस्तुओं की स्थापना के विरुद्ध सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया, जिनकी सहायता से अंतिम उत्पादों का निर्माण किया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने इस संबंध में याचिकाकर्ता कंपनी की दिसम्बर 2005 तक; जनवरी 2006 से फरवरी 2007 तक तथा मार्च 2007 से फरवरी 2008 तक की अवधि का लेखा परीक्षण किया।

3. रायपुर मुख्यालय के केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के एक दल ने पुनः याचिकाकर्ता की पुस्तकों का लेखा-परीक्षण जुलाई, 2004 से मार्च, 2007 तक के लिए किया और पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा संरचनात्मक लोहे और इस्पात वस्तुओं के खिलाफ लिया गया सेनवाट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत नहीं आते। याचिकाकर्ता से



उक्त अवधि के लिए लिए गए सेनवाट क्रेडिट का विवरण मांगा गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने सभी विवरण प्रस्तुत किए। इसके पश्चात् 7 जुलाई, 2008 को करण बताओ सूचना जारी किया गया (अनुलग्नक—पी2)। याचिकाकर्ता ने उक्त शो-कॉज नोटिस का उत्तर दिया (अनुलग्नक—पी/3)।

आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने रु . 1,23,72,352/- के सेनवाट क्रेडिट, रु. 2,04,759/- के शैक्षिक उपकरण और रु. 2,151/- के माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकरण को निरस्त/अस्वीकृत किया और आदेश दिया कि उक्त शुल्क का वसूली ब्याज सहित **सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004** की नियम 14 (संक्षेप में 'नियम') सपठित **केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944** की धारा 11-क ब के तहत की जाए और रु. 1,25,9,362/- का दंड धारा 11-कस सपठित नियम 15(2) के तहत (आदेश दिनांक 17-12-2008, अनुलग्नक—पी/4)।

4. याचिकाकर्ता ने **सीईएसटीएटी** के समक्ष अपील दायर की (अनुलग्नक—पी/5), जिस पर **सीईएसटीएटी** ने परिशिष्ट—P/1 के आदेश में आंशिक रूप से स्टे (रोक) की अनुमति दी, केवल ब्याज और दंड राशि के दावे तक; जबकि शुल्क राशि के दावे को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को कमीशनर द्वारा मांगी गई शुल्क राशि जमा करने का निर्देश दिया (परिशिष्ट—P/4)।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने केवल संरचनात्मक वस्तुओं के खिलाफ **सेनवेट क्रेडिट** लिया था, ना की भवन/निर्माण और सिविल कार्यों में प्रयुक्त वस्तुओं के खिलाफ केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त द्वारा जारी कारण बताओ सूचना धारा 11-क के तहत **परिसीमा के अधीन है**, क्योंकि यह मूल्यांकन अवधि के एक वर्ष की



अधिकतम सीमा के पश्चात प्राप्त हुआ। एक वर्ष की परिसीमा में बाध्य करने के लिए, धारा 11-क के परंतुक के अनुसार, कपाट, मिली भगत जानबूझकर असत्य कथन करना, या तथ्य की छुपाव या अधिनियम/नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होना आवश्यक है। हालांकि, इस मामले में संबंधित सभी दस्तावेज और अभिलेख विभाग के समक्ष उपलब्ध थे, जो याचिकाकर्ता कंपनी के अधिकारियों द्वारा 2005 तक और तत्पश्चात वर्तमान तक लेखा परीक्षा में रखे गए थे।

6. तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने उक्त वस्तुओं के संबंध में **सेनवेट क्रेडिट** का दावा किया, यह विभाग के ज्ञान में था। आयुक्त ने याचिकाकर्ता की आपत्ति खारिज कर दी, जो **निज़ाम शुगर फ़ैक्टरी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (CCE) (19(114) ई.एल.टी.429 (Tri-LB))** मामले में अधिकरण की वृहद पीठ के निर्णय पर आधारित थी। जहाँ बहुमत ने निष्कर्ष दिया कि केवल विभाग का ज्ञान धारा 11क(1) के पांच वर्ष की अवधि को लागू करने में बाधा नहीं बनता। हालांकि, उपरोक्त निर्णय अब बहुत अच्छी विधि नहीं रह गई क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने **निज़ाम शुगर फ़ैक्टरी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्राहक, आंध्र प्रदेश** के मामले में इसे विशेष रूप से अपास्त कर दिया, अतः उक्त परंतुक अब लागू नहीं है।

7. आयुक्त ने कारण बताओ सूचना में गलत तरीके से कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने परिसरों में स्थापित संरचनात्मक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा में अब लागू नहीं हैं। इस सूचना के जवाब में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि संरचनात्मक लोहे और इस्पात वस्तुओं पर क्रेडिट का लाभ केवल इनपुट के अंतर्गत लिया गया, पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत नहीं। **में. सिंघल एंटरप्राइजेज प्रा. लि., रायगढ़ (छत्तीसगढ़)** के मामले में अपील संख्या 532-533 आई.अर.पी.आर-1/2003 (दिनांक 19-1-2003) में यह स्पष्ट किया गया कि सहायक



संरचना, स्पॉन्ज आयरन प्लांट की मशीनरी का आवश्यक हिस्सा है और यह पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा में आता है।

8. अंततः, यह तर्क दिया गया कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण की समकक्ष पीठ ने **में. अंबुजा सीमेंट्स लि. बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रायपुर और में. आरती स्पंज एंड पावर लि. बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़** में धारा 35-ड के तहत आयुक्त द्वारा उत्पाद शुल्क की पूर्व-भुगतान आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता को यह सुविधा बिना किसी वैध कारण के अस्वीकार कर दी गई।

9. इसके विपरीत, उत्तर वादी के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने स्पॉन्ज आयरन प्लांट की स्थापना या इंस्टॉलेशन के लिए प्रयुक्त संरचनात्मक लोहे और इस्पात वस्तुओं के संबंध में **सेनवेट क्रेडिट** लिया। याचिकाकर्ता इस क्रेडिट का अधिकारी नहीं था, क्योंकि ये वस्तुएँ न तो अंतिम उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त हुई हैं और न ही पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में। इसी प्रकार, ऑक्सीजन गैस और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स को भी इनपुट के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता जो अंतिम उत्पादों या पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त हों। ये वस्तुएँ केवल मरम्मत और रख-रखाव में प्रयुक्त होती हैं। अतः सेनवेट क्रेडिट का आज स्वीकार किया जाना उचित है।

चूंकि याचिकाकर्ता **सेनवेट क्रेडिट की नियम 12** का पालन नहीं किया, जिसके अनुसार मूल्यांकनकर्ता को उत्पादन और माल की निकासी तथा अन्य संबंधित विवरणों के संबंध में मासिक रिटर्न जमा करना आवश्यक है, इसलिए याचिकाकर्ता ने विभाग से महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए और उत्पाद शुल्क का भुगतान टालने का प्रयास किया। अतः **धारा 11-क के तहत विस्तारित परिसीमा** लागू होती है।

सीईएसटीएटी ने धारा 35-ड के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए स्थगन आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा आयुक्त द्वारा लगाए गए ब्याज और शासित के भुगतान की



पूर्ववर्ती शर्ट को माफ किया और केवल देय उत्पाद शुल्क जमा करने का निर्देश दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के अनुमान और प्रयोग को उचित ठहराने वाले आदेश में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कोई अवैधता, सूचनात्मक शब्दकोश त्रुटि नहीं की गई है।

10. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना।

11. सीईएसटीएटी ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विधिक तर्क पर गहन विचार करने के बाद, उच्चतम न्यायालय के **जे.के. कॉटन स्पिनिंग और बुनाई मिल्स कंपनी लि. बनाम बिक्री कर**

अधिकारी, कानपुर के निर्णय का अवलंबन लेते हुए यह अवधारित किया कि यदि कोई विशेष प्रक्रिया या गतिविधि अंतिम उत्पाद के निर्माण से इतनी अभिन्न रूप से जुड़ी है कि बिना उस प्रक्रिया या गतिविधि के उत्पादन संभव तो है, परंतु व्यावसायिक दृष्टि से अनुपयुक्त या कठिन है, तो उस प्रक्रिया या गतिविधि में प्रयुक्त वस्तुएँ "**वस्तुओं के निर्माण में**" की परिभाषा में आएंगी।

भले ही वे वस्तुएँ सीधे प्रक्रिया में इस्तेमाल न हों, लेकिन वे अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक हैं।

12. उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया, कि संबंधित माल पर भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने के दावे के संबंध में अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क को स्वीकार करना कठिन है।

13. **बिड़ला कॉर्पोरेशन लि. बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त** के निर्णय का हवाला देते हुए, जिसमें यह अभिनिर्मित किया कि मूल्यांकनकर्ता **डंपर में प्रयुक्त स्पेयर पार्ट्स और टायर** के लिए क्रेडिट का हकदार था, जो फैक्ट्री में सामग्री प्रबंधन उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते थे, साथ ही बदलने वाली वस्तुओं के संबंध में भी। यह भी अभिनिर्मित किया कि स्पेयर



पार्ट्स **रोपवे** के लिए थे, जो क्रश किए गए चूना पत्थर को खानों से फैक्ट्री तक लाने में उपयोग होते थे। इन्हें फैक्ट्री के बाहर से फैक्ट्री परिसर में इनपुट लाने के लिए उपयोग किया जाता था और इसलिए यह **नियम 57थ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944** के तहत मोडवाट क्रेडिट के योग्य था।

हालांकि, अक्षेपित आदेश में यह उथापित किया गया कि उच्चतम न्यायालय ने पहले इसी प्रकार के बिंदु वाली अपील को खारिज कर दिया था, इसलिए राजस्व को इस मामले में अलग रख अपनाने की अनुमति नहीं है। अतः अपील को महान्यायवादी के अनुरोध और विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर खारिज कर दिया गया। इस मामले में कोई नया विधि नहीं बनाया गया है, केवल यह तय किया गया है कि **राजस्व एक ही बिंदु पर अलग रख नहीं अपना सकता**, विशेषकर जब अधिकरण के आदेश से यह बिंदु पहले ही निराकृत हो चुका हो और **जे.के.**

कॉटन स्पिनिंग और बुनाई मिल्स कंपनी लि. में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत अभी भी प्रभावित है।

14. याचिकाकर्ता द्वारा परिसीमा पर उठाए गए आपत्तियों के संबंध में, आयुक्त के आदेश के पैरा-14 को उद्धृत किया गया और यह उथापित गया कि याचिकाकर्ता ने ईअर-1 **विवरणी** में प्लांट और मशीनरी की आपेक्षिक संरचनाओं की जानकारी स्वयं नहीं दी और केवल विशेष लेखा परीक्षा के बाद सूचना जारी होने पर ही इसका खुलासा किया। अतः महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया गया और उत्पाद शुल्क से बचने का प्रयास किया गया। इसलिए विभाग को **विस्तारित परिसीमा** लागू करने का अधिकार था।

15. तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने उक्त संरचनाओं के खिलाफ **सेनवेट क्रेडिट** का दावा किया, यह विभागीय प्राधिकारियों के ज्ञान में था। याचिकाकर्ता का लेखा-परीक्षण पहले किया जा चुका था, पर इसे ध्यान में नहीं रखा गया। इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि **निज़ाम शुगर फैक्टरी (उपर्युक्त)** में अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा सन 2006



में निज़ाम शुगर फ़ैक्टरी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्राहक, आंध्र प्रदेश में अपास्त कर दिया ।

16. आक्षेपित आदेश में पूरे राशि का भुगतान पूर्व में ही करने से माफ करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि कोई तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे शुल्क राशि में कटौती का औचित्य सिद्ध हो सके। वित्तीय कठिनाई का कोई तथ्यात्मक आधार न होने के कारण पूरी शुल्क जमा करने का आदेश दिया गया।

17. आक्षेपित आदेश के कंडिका-21 में याचिकाकर्ता का तर्क कि समानता के आधार पर पूरी उत्पाद शुल्क की भुगतान से छूट मिलनी चाहिए को अस्वीकार कर दिया गया। यह आधारित आते हुए कि **जयसवाल नेकों लि.** मामले में समक्ष पीठ द्वारा व्यक्त विचार आदेशों के संबंध में बाध्यकारी हैं। हालांकि, अंतरिम आदेशों (**अस्थायी आदेश**) पर यह नियम सख्ती से लागू नहीं होता। यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल एक मामले में अंतरिम अनुतोष देने का अर्थ यह नहीं कि सभी अन्य मामलों में यही आदेश स्वतः लागू होंगे। याचिकाकर्ता के मामले में कोई विशेष अंतर जो इसे अन्य मामलों से अलग ठहराए, उसे विस्तृत रूप से नहीं बताया गया।

18. अभिलेख, कारण बताओ सूचना और याचिकाकर्ता के जवाब, आयुक्त का आदेश और आक्षेपित आदेश का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने और संबंधित वैदिक तर्कों एवं उच्चतम न्यायालय एवं / सीईएसटीएटी के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि याचिकाकर्ता ने प्रथम दृश्य मामला गुण दोष तथा परिसीमा के आधार पर मामला स्थापित कर दिया है। याचिकाकर्ता से रु. 1,25,9,362/- जमा करने का कहा गया है, जो निश्चित रूप से उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है।

19. उपरोक्त विचारों के आधार पर, मेरा मत है कि **न्याय के हित में** आदेश को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि यदि याचिकाकर्ता आज से 6 सप्ताह के भीतर **रुपए 1,25,9,362/-** के अस्वीकृत सेनवेट क्रेडिट का 50% जमा करता है, तो कमीशनर द्वारा बकाया शुल्क, संता शासित और ब्याज की वसूली पर स्थगन लागू रहे।



20. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका **आंशिक रूप से ऊपर वर्णित सीमा तक स्वीकार किया जाता है।**

व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

हस्ताक्षरित /-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Astha Verma